



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1 खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 26 जून, 1979

आषाढ 5, 1901 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1608/सत्रह-वि०-1—21-1977

लखनऊ, 26 जून, 1979

अधिसूचना

विवध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तरी भारत नहर और जल-निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 पर दिनांक 22 जून, 1979 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1979 के रूप में सर्व साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरी भारत नहर और जल-निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1979
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1979)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ!]

उत्तरी भारत नहर और जल-निकास अधिनियम, 1973 का, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तरी भारत नहर और जल-निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होया।

संक्षिप्त नाम और
विस्तार

2—उत्तरी भारत नहर और जल-निकास अधिनियम, 1873 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 36 में शब्द "राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियमों द्वारा अवधारित की जायेगी" के स्थान पर शब्द "और कोई अन्य आनुषंगिक प्रभार राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियमों द्वारा अवधारित किया जायेगा" रख दिये जायेंगे।

अधिनियम संख्या 8, 1873 की धारा 36 का संशोधन

ई 3—मूल अधिनियम की धारा 75 में, उपधारा (1) के खण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

धारा 75 का संशोधन

"(4) इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी प्रभार की रकम और रीति जिसके अनुसार उन्हें वसूल किया जायगा, और।"

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव।

No. 1608/XVII-V-1-21-77

Dated Lucknow, June 26, 1979

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348, of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttari Bharat Nahar Aur Jal Nikas (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhinyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 22 of 1979) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on June 22, 1979 :

THE NORTHERN INDIA CANAL AND DRAINAGE (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1979

[U. P. ACT NO. 22 OF 1979]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Northern India Canal and Drainage Act, 1873 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Northern India Canal and Drainage (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1979.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 36 of Act no. VIII of 1873.

2. In section 36 of the Northern India Canal and Drainage Act, 1873, hereinafter referred to as the principal Act, for the words "shall be determined by the rules to be made by the State Government", the words "and any other incidental charges shall be determined by the rules to be made by the State Government", shall be substituted.

Amendment of section 75.

3. In section 75 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (4), the following clause shall be substituted, namely :—

"(4) the amount of any charges made under this Act and the manner in which they shall be realized ; and."

By order,

R. C. DEO SHARMA,

Sachiv.